अनुदान संख्या 8 - औषध निर्माण विभाग
GRANT No. 8 – DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	157,95,00	157,96,00	74,87,19	-83,08,81
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				83,31,29
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted-		40,05,00	27,50,00	-12,55,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12,55,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹8331.29 लाख) ₹8308.81 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹8331.29 lakhs) exceeded the overall savings of ₹8308.81 lakhs.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	1650.00	..	..	..
पु.	R.	-1650.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess +

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

मुख्य शीर्ष "2852" Major Head "2852"

उद्योग Industries

मू.	O.	13386.00				
पू.	S.	1.00		6733.27	6755.75	+ 22.48
पु.	R.	-6653.73				

(I) ₹1650.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" - "रसायन और औषध निर्माण उद्योग - औषध और औषध निर्माण - राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1650.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" – "Chemical and Pharmaceutical Industries - Drug and Pharmaceutical – National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER)" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "रसायन और औषध निर्माण उद्योग - औषध एवं औषध निर्माण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2852" - "Chemical and Pharmaceutical Industries – Drugs and Pharmaceuticals" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा और अनुसंधान संस्थान" - ₹2875.00 लाख की बचत (₹8004.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने की वजह से राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थल पर मूल निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(A) "National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER)"- saving of ₹2875.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8004.00 lakhs) was due to non – commencement of core construction at NIPER sites owing to non-receipt of approval of proposal.

(खा) "राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण" - ₹181.60 लाख की बचत (₹706.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावित नई स्कीमों को योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने और स्टाफ कार, टेलीफोन और पेशेवर सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "National Pharmaceuticals Pricing Authority (NPPA)" – saving of ₹181.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹706.00 lakhs) was due to non receipt of approval of proposed new schemes from Planning Commission and requirement of less funds towards staff cars, telephone and professional services.

(गा) "औषध निर्यात संवर्धन स्कीम" - ₹3518.49 लाख की बचत (अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4552.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी न किए जाने की वजह से नई स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Pharmaceutical Export Promotion Scheme (PEPS)" - saving of ₹3518.49 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4552.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in August, 2010) was due to non finalization of new schemes owing to non-completion of procedural formalities.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹56.16 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत थीं।

(III) Under one head saving of ₹56.16 lakhs occurred constituting 45 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "6857" रसायन और औषध निर्माण उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6857" Loans for Chemical and Pharmaceuticals Industries				
मू.	O.	4005.00	2750.00	2750.00	..
पु.	R.	-1255.00			

(I) ₹3.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) "औषध तथा औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड" के अंतर्गत ₹1251.00 लाख की बचत (₹1501.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एजेंसी को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से एरीथ्रोमाइसिन परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी की व्यवस्था किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under "Drugs and Pharmaceutical Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings - Hindustan Antibiotics Ltd" - saving of ₹1251.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1501.00 lakhs) was due to delay in tie up of technology for Erythromycin Project owing to non-finalization of Agency.